न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व अपील सं. 06/2026
रा.अपील. अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अनवान

अपीलाण्ट – 1. ताराराम पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल निवासी मते का तला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

उतरदातागण –1. सरपंच ग्राम पंचायत मते का तला 2. बांकाराम पुत्र बुढाराम 3. रामाराम पुत्र बांकाराम 4. रामाराम पुत्र खाकूराम 5. मांगी पत्नी राणाराम 6. धीया पत्नी गोरखाराम 7. टीलाराम 8. ईशराराम 9. अर्जनराम पि. खाकूराम जाति मेघवाल निवासी मते का तला तहसील चौहटन

अधिवक्तागण – अपीलाण्ट वकील – श्री रामजीवन विश्नोई
उतरदाता वकील – श्री नानगाराम प्रजापत (उतदाता सं. 1,2)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

—:: निर्णय ::—

दिनांक :– 11.03.2026

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने दिनांक 02.07.1979 को ग्राम मते का तला, वर्तमान मौजा मिश्री की बस्ती पटवार हल्का बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 95 रकबा 322.10 बीघा में से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 24 बीघा भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्राप्त की थी, उक्त विकय पत्र उपपंजीयक कार्यालय चौहटन में पंजीयन दिनांक 02.07.1979 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 34 में पृष्ठ संख्या 23 से 50 कम संख्या 179 पर पंजीबद्ध किया गया। अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विकय पत्र में वर्णित खसरा व हिस्से अनुसार दिनांक 30.06.1989 को नामान्तरकरण संख्या 594 अपने [illegible] दर्ज कर उक्त नामान्तरण पारीत करने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत मते का तला को पेश किया तो उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के बावजूद सरपंच ग्राम पंचायत मते का तला ने अपीलान्ट को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

विपरीत जाकर एकतरफा आलोच्य आदेश पारीत कर कानूनी भूल की है तथा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आलोच्य आदेश पारीत किया है तथा उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को कभी नही होने दी जिसके विरूद्ध उक्त अपील पेश की है।

अपीलांट के नाम पंजीबद्ध विक्रय पत्र होने व मौके पर कब्जा काश्त व रहवासी ढाणियां होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण खारीज करने का आदेश किया गया जो पूर्वग्रह से ग्रसित होकर अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आलौच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जिस कारण आलौच्य आदेश खारिज करने योग्य है। उक्त वर्णित बैचाननामा बांका पुत्र बुढा व लाडु पुत्र बुढा ने अपने खातेदारी खेत का बैचान किया गया है तथा उक्त वर्णित खेत की खाते की स्थिति बैचान के समय जैसी है तथा बैचानकर्ता लाडु पुत्र बुढा का देहान्त हो चुका है परन्तु बुढा लाऔलाद फौत होने से उसका सम्पूर्ण हिस्सा बांका के नाम वर्तमान में खातेदारी है तथा अपीलान्ट का उक्त वर्णित खेत के खरीद करने के बाद से ही कब्जा काश्त व रहवासी ढाणियां बनी हुई है।

उक्त अपील अपीलांट द्वारा निर्धारित समय सीमा में माननीय न्यायालय में अंदर म्याद पेश की गई है। वादग्रस्त आराजी मौजा मते का तला वर्तमान मौजा मिश्री की बस्ती पटवार हल्का बूठ राठौड़ान तहसील चौहटन के पुराना खसरा संख्या 95 व वर्तमान खसरा संख्या 215/95 में अपीलान्ट के पक्ष में हल्का पटवारी द्वारा दायर किये गये नामातंरण संख्या 594 दिनांक 30.06.1989 को निरस्त फरमातें हुए अपीलांट के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत करवाने के आदेश फरमावें।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उतरदाता सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नानगाराम प्रजापत द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा मते का तला पटवार हल्का बूठ राठौड़ान तहसील चौहटन के पुराना खसरा संख्या 95 व वर्तमान खसरा संख्या 215/95 में अपीलान्ट के पक्ष में हल्का पटवारी द्वारा दायर किये गये नामातंरण संख्या 594 दिनांक 30.06.1989 को खारिज कर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरण अनुसार व अपीलान्ट तारसराम के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार नवीन नामान्तरण दायर किया जाता है तो हमे को उज्र ऐतराज नही है। उतरदाता सं. 3,4,9 के सम्मन बाद तामिल व उतरदाता सं. 5 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

8 के सम्मन लेने से इन्कार रिपोर्ट प्राप्त बावजूद उतरदाता सं. 3 से 9 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलान्ट व उतरदाता सं. 1, 2 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में उतरदाता सं. 1 द्वारा विधि के उल्लंघन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना न कर आलौच्य आदेश पारित किया है तो निरस्त योग्य है। अतः निवेदन है कि उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण सं. 594 दिनांक 30.06.1989 को निरस्त कर अपीलांट के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत करने के आदेश फरमावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 के वकील द्वारा अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के पक्ष में नवीन नामान्तरण दायर किया जाता है तो हमे को उज्र ऐतराज नही है।

हमने पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी मौजा मते का तला, वर्तमान मौजा मिश्री की बस्ती पटवार हल्का बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन के पुराना खसरा संख्या 95 व वर्तमान खसरा संख्या 215/95 के संबंध में जो उतरदाता सं. 1 ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए जो आदेश पारित किया, प्रक्रिया संबंधी विधि के उल्लंघन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना के प्रतिकूल आदेश पारित किया है तो निरस्त योग्य है।

अतः न्यायहित में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा मते का तला, वर्तमान मौजा मिश्री की बस्ती पटवार हल्का बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन के पुराना खसरा संख्या 95 व वर्तमान खसरा संख्या 215/95 के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश नामातंरण संख्या 594 दिनांक 30.06.1989 निरस्त किया जाता है तथा पुनः नये सिरे से तहसीलदार चौहटन को नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 20:13:14 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन